

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इसमें
जारी हुए

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05/07/2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता जर्जी अपरिचर। अपरिचर की बाद तामील प्राप्ति जो जा. का. की गरी। अपरिचर पेशकार खरलार लहसीलार रावतभाटा आदालत में उपस्थित हो पत्रावली में पल्ल्यादी करके न सहाते व्यक्त की तथा पत्रावली में No-objection प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते बहस व आदेश जा. पत्र धारा-128 दिनांक 11/07/2023 को पेश हुआ।

No objection

— 9/7
TDR

पत्रावली पेश हुई। उद्यम पक्षकारक उपस्थित। वकील जर्जी ने जा. पत्र धारा-128 रा. ले. रे. एर पर बहस सुनारि। उद्यम पक्ष को सुना गया। पत्रावली का भवलोफ्त किया गया। पत्रावली में शामिल पक्षकारों का भवलोफ्त किया गया। बहस पर भक्त किया गया। जर्जी अपने खालेदारी भूमि की पल्ल्यादी करना चाहता है तथा पेशकार के सहाते व्यक्त करके से पत्रावली जर्जी का जा. पत्र धारा-128 स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः जर्जी का जा. पत्र धारा-128 बाबत पल्ल्यादी का स्वीकार किया जाता है। पल्ल्यादी का



